

दिनांक : 30.11.2016

माननीय प्रधानमंत्री जी



इंडियन बिजनेस पार्टी भारत के लगभग 11 करोड़ कारोबारियों की एक मात्र राष्ट्रीय पंजीकृत राजनीतिक दल है तथा इसका एक मात्र उद्देश्य भारत को एक कारोबारी राष्ट्र बनाना है!

सर्व प्रथम हम आपके इस महान उद्देश्य की सराहना करते हैं कि आप भारत से काला धन समाप्त करने हेतु दृढ़ संकल्प हैं, इस सन्दर्भ में हमारा एक सुझाव है कि काले धन की पुनरव्याख्या करने की आवश्यकता है धन की व्याख्या धन के अर्जन के स्रोत पर होनी चाहिए, जैसा की निम्न प्रकार है:

- वह धन जो वैध श्रोत से अर्जित किया गया है, वह अर्थव्यस्था का हिस्सा है, परंतु उस पर टैक्स नहीं दिया गया!
- वह धन जो अवैध श्रोत से अर्जित किया गया है, वह अर्थव्यस्था चक्र का हिस्सा भी नहीं है, जैसे सोने, जमीन में निवेश इत्यादि, क्योंकि इस पर टैक्स भी नहीं दिया जाता!

कारोबारियों पर मुख्यतः "A" प्रकार का धन होता है, यह अर्थव्यस्था के इतने चक्र में घूम जाता है की सरकार को इससे अपरोक्ष रूप से कर मिल जाता है! इस प्रकार के धन के अर्जन हेतु निम्न कारण हैं:

- आयकर एवं अप्रत्यक्ष करों की दरें बहुत ज्यादा हैं और यदि ईमानदारी से कर दिया जाए तो भी कर अधिकारी रिश्वत की मांग करते हैं तथा कारोबारियों का उत्पीड़न करते हैं!
- बैंकों द्वारा भी प्रयाप्त ऋण सुविधाएं नहीं हैं यही कारण है कि कारोबारियों को कुछ Secret Reserve बनाना पड़ता है जो उस वक्त काम आता है जब बैंक सहायता करने में असमर्थ होता है और कारोबारी अपना Working Capital Cycle सुगमता से चला पाता है!
- कारोबारियों कि सामाजिक आर्थिक सुरक्षा नगण्य है यदि ब्यापार में घाटा (Loss) हो जाता है तो परिवार भी साथ छोड़ देता है ! शायद यही एक ऐसा धन है जो बुरे वक्त में कारोबारियों के काम आता है!
- बिना नकद अर्जन किये बिना कारोबारी, कारोबार नहीं कर पता क्योंकि न जाने कितने सरकारी अधिकारियों को पुरे महीने उसे कुछ न कुछ देना ही पड़ता है ! ऐसी स्थिति कारोबारियों को टैक्स बचा कर कुछ नकद कि व्यस्था करनी पड़ती है! "इसका एक ताजा में उदाहरण अभी एक सरकारी अधिकारी 2000 रुपये वाले नोटों के साथ रिश्वत लेता पकड़ा गया है! वह भी जब 2000 के नोटों को बाजार में आये 4-5 दिन ही हुए थे!"

- e. अक्सर देखा गया था कि उद्योगपति नए उद्योग लगाने हेतु जमीन खरीदने में अपना समस्त नकद इस्तेमाल कर लेते थे और एक बड़ा उद्योग खड़ा कर लेते थे, जिसमें हजारों को रोजगार मिल जाता था शायद इस प्रकार का धन अर्थव्यस्था को गति भी प्रदान करता था!

अतः हमारा सुझाव है कि वैध स्रोत से अर्जित धन जिस पर टैक्स नहीं दिया गया हो, ऐसे धन को काला धन न कह कर ग्रे (GREY) धन कहा जाये क्योंकि ऐसे धन में सफ़ेद एवं काला मिश्रण है! इस प्रकार के धन के लिए सरकार अलग प्रकार कि दंड प्रक्रिया अपनाएं तथा टैक्स कि दरें घटा कर ऐसे धन के सर्जन को समाप्त करने कि योजनाएं बनाये!

“B” प्रकार का धन वह है जो रिश्वत द्वारा, आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित किया गया है, यह वह धन है जो अर्थव्यस्था चक्र से बाहर निकल जाता है तथा सोने में या जमीन जायदाद में निवेशित होता है!

रिश्वत इत्यादि का प्रचलन सरकारी नियम के अव्यवहारिकता के कारण ही बढ़ा है! आज भी ऐसे ऐसे कानून प्रचलित हैं कि जिसका पालन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, सरकार अक्सर बड़े बड़े Chamber of Commerce जैसे FICCI, CII इत्यादि से मशवरा करती है पर उन संस्थाओं से बात नहीं करती जो जमीनी स्तर पर जनता से जुड़े हुए हैं! उदाहरण के लिए कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी बनाने हेतु 90% Case में आवेदित नाम को निरस्त कर दिया जाता है क्योंकि उक्त नाम किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय Trade वाले से मिलता जुलता है! आश्चर्य कि बात है कि वही निरस्त किया हुआ नाम पुनः आवेदन करने से मिल जाता है बस कुछ फीस देनी पड़ती है! इसी सन्दर्भ में IBP द्वारा आपको सूचित भी किया गया था परंतु कोई कार्यवाही नहीं कि गयी, शायद अधिकारियों कि मनमर्जी के कारण Ease Doing Business Index में भारत का स्थान 131 से घट कर मात्र 130 ही हो पाया है!

“A” प्रकार के धन के सृजन को रोकने के लिए निम्न सुझाव है:

- (i) सरकार ऐसी व्यवस्था करे की लोगों से सुझाव मांगे की किस कानून का पालन परेशानी जनक है या अव्याहारिक है उस कानून का review करे तथा उसके अव्यवहारिकता समाप्त करे! इससे रिश्वत का पैमाना काफी कम हो जायेगा और भारत का स्थान Ease of Doing Business में भी सुधरेगा!
- (ii) बैंको को निर्देश दिए जाये कि कारोबारियों को बिना परेशान करे उचित और समय से ऋण इत्यादि कि सुविधाएं उचित ब्याज दरों पर दी जाये।
- (iii) कारोबारियों को उनके एक निश्चित आयु को प्राप्त करने पर कुछ पेंशन इत्यादि कि सुविधा तथा चिकित्सा इत्यादि का प्रावधान होना चाहिये। इन सुविधाओं का स्तर तय करने में, कारोबारियों द्वारा अपने जीवन काल में सरकार को दिए गए करों के आधार पर होना चाहिये

“A” प्रकार के धन के सृजन को रोकने के लिए निम्न सुझाव है:

- (i) इस प्रकार के धन को काल धन माना जाय तथा उसे जब्त कर लेना चाहिए तथा उसे रखने वाले को जेल के सजा ला प्रावधान होना चाहिए!
- (ii) अक्सर कारोबारियों पर Routine में छापे पड़ते रहते हैं परंतु अधिकारियों पर कभी भी Routine छापे नहीं पड़ते जब तक की उनके खिलाफ कोई नामजद रिपोर्ट न की गई हो! अधिकारियों के यहाँ भी काला धन कि जांच हेतु रूटीन में छापे पड़ते रहने चाहिए ।
- (iii) 2000 का नोट बंद कर दिया जाये या नोट पर एक expiry date अंकित होनी चाहिये ताकि कोई भी व्यक्ति नोटों को तिजोरी मे ना एकत्र कर सके !

इंडियन बिजनेस पार्टी नोट बंदी के सरकार के निर्णय का स्वागत करती है तथा पूर्ण सहयोग का आश्वासन देती है परंतु अपेक्षा भी करती है की काले धन के परिपेक्ष में सिर्फ कारोबारियों को दोषित न करे ।

यह सर्वविदित है कि यदि देश में कारोबारी खुश और संतुष्ट होगा, तभी भारत एक कारोबारी राष्ट्र बन सकता है । यदि भारत एक कारोबारी राष्ट्र बनता है तो देश के युवाओ को रोजगार भी मिलेगा और देश कि गरीबी भी दूर होगी । अतः सरकार को कारोबारियों को देश कि अर्थव्यवस्था के एक मुख्य स्तम्भ के रूप में देखना चाहिए ।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त पर ध्यान देते हुए सरकार द्वारा उचित नियम कानून बने जाय ।

धन्यवाद

वी के बंसल

संस्थापक संयोजक

8076435958

सेवा में:

श्री नरेंद्र मोदी जी

माननीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार

साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल्स

नई दिल्ली